रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220875
CG-DL-E-06082020-220875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
No. 188] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SHRAVANA 14, 1942

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

परिधानों तथा मेड-अप के निर्यात पर राज्य शुल्कों की छूट हेतु योजना

फा. सं. 12015/11/2020-टीटीपी.—वस्त्र मंत्रालय परिधानों के निर्यात पर राज्य शुल्कों में छूट के लिए योजना के संबंध में दिनांक 31 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 12020/03/2016-आईटी द्वारा यथो संशोधित दिनांक 12 अगस्त, 2016, की अधिसूचना सं. 12020/03/2016-आईटी तथा मेड-अप के निर्यात पर राज्य शुल्कों की छूट के लिए योजना के संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी द्वारा यथा संशोधित दिनांक 03 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी में निम्नलिखित और संशोधन करती है। अर्थात् –

दावेदारों द्वारा भुगतान वापसी की खण्ड 7 में उपखंड 7.5 के बाद वसूली और विवाद समाधान के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

"7.6 आरओएसएल के तहत छूट के दावे के संबंध में यदि डीजीएफटी द्वारा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में छूट जारी की जाती है तो ऐसी छूट को केवल निर्यातक द्वारा वसूल की गई वास्तविक जमा के आधार पर अनुमति दी जाएगी। यदि गलत गणना अथवा त्रुटि के कारण अधिक भुगतान किया जाता है तो निर्यातक डीजीएफटी के संबंधित आरए द्वारा की गई मांग की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, यह राशि ऐसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी होने की तारीख से निर्यातक द्वारा राशि वापस करने की वास्तविक तारीख तक 15% ब्याज सहित वापस की जाएगी। यदि कोई निर्यातक आरए द्वारा की गई मांग के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत राशि को वापस करने में असमर्थ रहता है तो डीजीएफटी के आरए द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के प्रावधानों

के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि गलत घोषणा करके अथवा तथ्यों को छुपा के तथा जाली निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करके छूट का दावा किया जाता है तो निर्यातक पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तथापि, आरओएसएल के तहत अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप बिना किसी ब्याज देयता के वापस की जाएगी।

इस प्रकार वसूल की गई राशि (मूल जमा ब्याज तथा दंड, यथा लागू) सीमा शुल्क के संबद्ध लेखा शीर्ष अर्थात् मुख्य शीर्ष 0037 – सीमा शुल्क एवं लघु शीर्ष 101 – आयात शुल्क में जमा की जाएगी”.

जय करन सिंह, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

SCHEME FOR REBATE OF STATE LEVIES ON EXPORT OF GARMENTS AND MADE-UPS

F. No. 12015/11/2020-TTP.—Ministry of Textiles hereby further makes the following amendments in the notifications No. 12020/03/2016-IT dated 12th August, 2016, as amended by notification number 12020/03/2016-IT dated 31st August, 2016 regarding Scheme for Rebate of State Levies on exports of garments and notification No.12015/47/2016-IT dated 3rd January, 2017 as amended by notification No.12015/47/2016-IT dated 15th March, 2017 regarding Scheme for Rebate of State Levies on exports of made-ups, namely-

In clause 7 relating to repayment by claimant, recovery and dispute resolution after sub-clause 7.5 the following shall be inserted:-

“7.6 In case of claim for rebate under the RoSL scheme where the rebate is issued by DGFT in the form of Duty Credit Scrips, such rebate shall be allowed only on the basis of actual remittances realized by the exporter. In case, excess payment is made due to error or miscalculation, the exporter shall be liable to refund the same within 30 days from the date of demand raised by the concerned RA of DGFT. However, such amount will be refunded with 15% interest from the date of issue of such Duty Credit Scrip and till the date of actual refund by the exporter. In case the exporter fails to refund the amount so demanded by RA within the prescribed time limit, recovery proceedings shall be initiated under the provisions of Section 11 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by RA of DGFT. In case rebate is claimed on the basis of mis-declaration or suppression of facts or by submitting fabricated export documents, the exporter shall be liable for penal action under the provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended time to time. However, unutilized Duty Credit Scrip under RoSL can be surrendered without any interest liability.

The amount (principal plus interest and penalty where applicable) so recovered shall be deposited in the relevant account head of Customs i.e. "Major Head 0037 - Customs and Minor Head 101-Import Duties”.

JAY KARAN SINGH, Trade Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA